BPSC-102: भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र
(ट्यूटर द्वारा मूल्यांकित सत्रीय कार्य)
सत्रीय कार्य कोड: BPSC-102/ASST/TMA/2026-27
अंक: 100

सत्रीय कार्य – I

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।
(2 × 20 = 40 अंक)

1 भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा कीजिए और इसके प्रमुख आधारभूत दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

2 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का विश्लेषण कीजिए। आपातकालीन प्रावधान इस विभाजन को कैसे प्रभावित करते हैं?

सत्रीय कार्य – II

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए।
(3 × 10 = 30 अंक)

3. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए।

4. भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति और कार्यों की व्याख्या कीजिए।

5. पाँचवीं और छठी अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

सत्रीय कार्य – III

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए।
(5 × 6 = 30 अंक)

6. प्रस्तावना में निहित मुख्य आदर्शों का उल्लेख कीजिए।

7. विधायिका के प्रमुख कार्य क्या हैं?

8. संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है?

9. मौलिक कर्तव्यों के महत्व की व्याख्या कीजिए।

10. स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक महत्व क्या है?

1 भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा कीजिए और इसके प्रमुख आधारभूत दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर

भारतीय संविधान केवल शासन के संचालन की कानूनी नियमावली नहीं है; यह स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, सामाजिक न्याय की माँग और विविध समुदायों के साथ रहने की सहमति का दस्तावेज है। इसकी निर्माण-प्रक्रिया में उपनिवेशवाद से मुक्ति, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन के प्रश्न आपस में जुड़े थे। इसी कारण संविधान को ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा उसके मूल्यगत आधार—दोनों के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक शासन में विधायी परिषदों और सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाएँ क्रमशः विकसित हुईं। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों ने प्रशासनिक ढाँचे पर प्रभाव डाला, किंतु वास्तविक संप्रभुता ब्रिटिश शासन के पास रही। राष्ट्रीय आंदोलन ने इस व्यवस्था से आगे सार्वभौमिक मताधिकार, उत्तरदायी सरकार और अधिकारों की माँग की। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1931 का कराची प्रस्ताव और अन्य वैचारिक बहसें भावी संविधान की दिशा समझने में सहायक रहीं। 1934 के आसपास संविधान सभा की माँग को व्यापक राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सभा का गठन हुआ।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने और बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संप्रभुता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न समूहों के संरक्षण की दिशा स्पष्ट हुई। विभाजन के कारण सभा की सदस्य-संख्या और परिस्थितियाँ बदलीं। 29 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। संविधान सभा की विभिन्न समितियों—जैसे संघ शक्तियाँ, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों से संबंधित समितियों—ने विस्तृत कार्य किया। बहसों, संशोधनों और समन्वय के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तथा इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए।

संविधान निर्माण की पद्धति और उसका महत्व

सभा का चुनाव आज के अर्थ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ था; उसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से परोक्ष रूप में चुने गए थे और रियासतों से भी प्रतिनिधित्व था। फिर भी सभा ने सार्वजनिक बहसों, अनेक समितियों, विचारों के आदान-प्रदान और संशोधनों द्वारा एक व्यापक सहमति बनाने का प्रयत्न किया। प्रारूप-निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय जवाबदेही, अमेरिका के अधिकार-संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा भारतीय प्रशासनिक अनुभवों से उपयुक्त तत्व ग्रहण किए। इनका उद्देश्य किसी विदेशी संविधान की नकल करना नहीं, बल्कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था विकसित करना था।